Title: Need to provide pension to ex-soldiers compulsorily retired from Army on medical grounds − Laid.

श्री महेन्द्र सिंह पाल (नैनीताल) : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना में भर्ती के समय सारे चिकित्सीय परीक्षण पूर्ण होने के बाद ही सैनिक भर्ती किये जाते हैं। उस समय मेडिकल संस्तुति के आधार पर संबंधित व्यक्ति किसी तरह की बीमारी न होने का प्रमाण पत्र आर्मी मेडिकल कोर से संबंधित डाक्टरों द्वारा दिया जाता है। लेकिन जब आर्मी सेवा में कार्यरत व्यक्ति बीमार हो जाता है तथा उसको मेडिकली अयोग्य घोाति किया जाता है तब उसको कम सर्विस के कारण या पेंशन पाने का कार्यकाल पूरा न करने के कारण पेंशन नहीं दी जाती है, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय इस बात पर आधारित हैं कि कोई भी व्यक्ति आर्मी की सर्विस के सेवाकाल में किसी बीमारी के कारण अयोग्य घोाति किया जाता है तो वह व्यक्ति पेंशन का अधिकारी होता है। लेकिन रक्षा मंत्रालय द्वारा अभी तक इन नियमों को व्यावहारिक रूप नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत से व्यक्ति जो आर्मी सेवा में कार्यरत थे और मेडिकली अयोग्यता के कारण समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिये गये, उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है, जिस वजह से काफी भूतपूर्व सैनिक पेंशन के बगैर असहाय जिंदगी व्यतीत करने पर मजबूर हैं। अतः मेरी सरकार से मांग है कि अतिशीघ्र ऐसे सारे पूर्व सैनिकों को जो समय से पहले मेडिकल कारणों से सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें पेंशन की सुविधा दी जाए।